

6-4-26

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण में तहसील द्वार बंगू से पूर्व में फर्द बटवारा के सम्बन्ध में पूर्व में रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि यादवादी व प्रतिवादी बटवारा नहीं कराना चाहते हैं जो न्यायालय जो उचित हो आदेश प्रारित करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए किया गया। पत्रावली में बहस सुनी जाने के पश्चात् पत्रावली में प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादी एवं प्रतिवादी द्वारा विभाजन नहीं करने हेतु मौका रिपोर्ट पर वादी व प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादी विभाजन नहीं कराने से वादी का वाद अ. धा. 53 R. 7A का श्वारिज किया जाता है। पत्रावली में सबल श्रुति होकर नम्बर से कम है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चितीदगढ़)